जिला–सुपौल।
न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–सप्तम्

एन.डी.पी.एस. वाद संख्या–34/2023
वीरपुर थाना कांड संख्या–191/2023

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता..............................श्री सुधीर कुमार झा

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता..............................श्री धर्मेन्द्र कामत

::आदेश::

22/08/2023

काराधीन आवेदक अभियुक्त, **अभिषेक कुमार** की ओर से पूर्व में दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन है कि, आवेदक अभियुक्त, निर्दोष है तथा कोई गलती नहीं किया है। अभियुक्त आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त आवेदक का आपराधिक इतिहास नहीं है। प्राथमिकी में वर्णित धाराओं के अन्तर्गत कोई भी आरोप अभियुक्त आवेदक के विरूद्ध आरोपित नहीं होता है। अभियुक्त आवेदक प्रस्तुत वाद में दिनांक 16.06.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त आवेदक जब्त वाहन Suzuki Ertiga, निबंधन संख्या JH05DJ9570, का चालक सह स्वामी है। आवेदक अभियुक्त का वाहन किराये पर अन्य अभियुक्तों के द्वारा लिया गया था और सुपौल जाने के लिए सहअभियुक्तगण के द्वारा कहा गया था। आवेदक अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाइल जब्त किया गया है। प्रस्तुत वाद में ब्राउन शुगर सहअभियुक्तगणों के पास से कुल दो ग्राम बरामद किया गया है। आवेदक अभियुक्त या उसके वाहन से कोई Narcotic substance बरामद नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना है कि आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

प्रस्तुत वाद सूचक, मिहिर कान्ति नाथ, सहायक उप–निरीक्षक के फर्दबयान के आधार पर वीरपुर (ललित ग्राम ओ0पी0) थाना काण्ड संख्या 191/2023 अन्तर्गत धारा 8(c),21(a) N.D.P.S. Act के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज किया गया है। सूचक का संक्षेप में कथन यह है कि दिनांक 15.06.2023 को नेपाल से आ रहे एक वाहन निबंधन संख्या JH05DJ9570 को शक के आधार पर रोका गया, **जिससे आवेदक अभियुक्त बाहर निकल कर बताये कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, इस वाहन में बैठे चारों व्यक्तियों की चेकिंग की जाय**। वाहन में बैठे सभी चार अभियुक्तों से नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम सहअभियुक्त सुमन कुमार, आशीष कुमार, विवेक कुमार एवं महावीर कामत बताये। स्थानीय दो स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष बारी बारी से विधिवत् जॉच करने पर कुल दो ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया।

एन.डी.पी.एस. वाद संख्या–34/2023
वीरपुर थाना कांड संख्या–191/2023

लगातार
22.08.2023

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख का परिशीलन किया। अभिलेख के परिशीलन से विदित होता है कि अभियुक्त आवेदक जब्त वाहन Suzuki Ertiga, निबंधन संख्या JH05DJ9570, का चालक सह स्वामी है। अभियुक्त आवेदक या उसके वाहन से ब्राउन शुगर बरामद नहीं किया गया है। अभियुक्त आवेदक के द्वारा स्वयं ही सूचक को अपनी वाहन एवं वाहन में बैठे सहअभियुक्तगण का तलाशी लेने के लिए कहा गया था। अभियुक्त आवेदक प्रस्तुत वाद में दिनांक 16.06.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा एक शपथ पत्र दाखिल किया गया है कि अभियुक्त आवेदक का पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा आवेदक अभियुक्त के कब्जे से कोई भी बरामगदी नहीं होने के कारण तथा कोई आपराधिक इतिहास नहीं होने के कारण आवेदक अभियुक्त को जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक अभियुक्त **अभिषेक कुमार** को मो0 10,000 हजार रूपये के दो प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि, आवेदक अभियुक्त का एक जमानतदार उसका नजदीकी रिश्तेदार होंगे, आवेदक अभियुक्त आरोप के गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे, बिना किसी अति विशेष कारण के अनुपस्थित होने पर बंध पत्र स्वतः खंडित हो जाएगा।

आवेदक अभियुक्त कुछ सामाजिक सेवा करना चाहते हैं। **ग्लोबल वार्मिग, प्रदूषण का स्तर तथा बिहार सरकार के द्वारा चलाये जा रहे जल, जीवन हरियाली योजना एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु** आवेदक अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वो **20 फलदार वृक्ष का पौधा सार्वजनिक जगह पर लगायेंगे**, जिसका फोटोग्राफ मुखिया/ सरपंच/ वार्ड पार्षद से प्रमाणित किया हुआ, प्राप्त कर अगली तिथि को न्यायालय में समर्पित करेंगे तथा उन वृक्षों को छः महीने तक देखभाल करेंगे और पुनः छः महीने के बाद उन वृक्षों का फोटोग्राफ न्यायालय को समर्पित करेंगे।

Avinash Kumar
लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–सप्तम्
व्यवहार न्यायालय, सुपौल।
दिनांक 22.08.2023